(150)

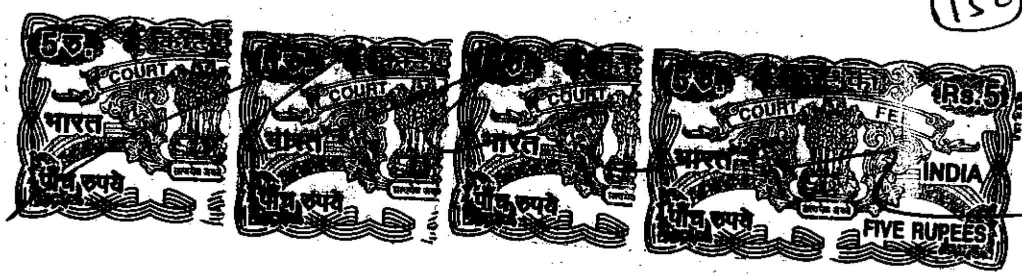

न्यायालय श्रीमान म0प्र0 राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प भोपाल

A 7269 PBR 16

द्वितीय अपील क्रमांक /2016

1. **हरीश मिहानी** पुत्र श्री वीधामल मिहानी,
2. **अमित कुमार** पुत्र श्री हरीश मिहानी,

दोनों निवासी बालाजी मंदिर के पास,
इटारसी जिला होशंगाबाद म0प्र0 ---- **अपीलार्थीगण**

अभिभाषक श्री......
द्वारा आज दिनांक 16
को पेश।
अधीक्षक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन,
द्वारा जिला पंजीयक,
इटारसी जिला होशंगाबाद --- **प्रत्यर्थी**

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 47-क (5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

अपीलार्थी विद्वान आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रथम अपील क्रमांक 134/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2016 तथा कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद के न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 54/बी-105/2013-14 में पारित आदेश दिनाँक 19-12-2014, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर रूपये 2,71,542/- कमी मुद्रांक शुल्क तथा शास्ति अदा करने का आदेश पारित किया गया, से व्यथित होकर निम्न ठोस तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा वार्ड क्रमांक 17(3) आफसाबाद इटारसी सर्वे क्रमांक 71/1 शीट नंबर 26/4स रकबा 2880 वर्गफिट, जिसमें से 900 वर्गफिट पर आवासीय मकान काफी

(48)

XXIX(a)-BR(H)-11

हरीश / शासन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A-7269-PBR-16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-8-2017	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	